

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 372/2026

अनवान : -

1. माया पत्नी विनोद जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
  2. मोहन पुत्र लूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- वादीगण

बनाम्

1. कलावती पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कविता पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. दलवीर सिंह पुत्र जिलेसिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. धनी पत्नी मदन जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. नरेश कुहाड़ पुत्र मुखराम कुहाड़ जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
6. बेगराज पुत्र पतराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. मुकेश कुमार पुत्र जिलेसिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
8. मोनिका पत्नी नवीन दान जाति चारण जाति निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. राकेश कुमार कुहाड़ पुत्र मुखराम कुहाड़ जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
10. विकास खिचड़ पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
11. शंकरलाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
12. सुरेन्द्र सिंह पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
13. किशन लाल शर्मा पुत्र लूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी आर्य बस्ती सैंकडरी स्कूल के पास पटेल बस्ती सिरसा।
14. राजकुमार पुत्र लूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी थेड मोहल्ला सिरसा।
15. मदन शर्मा पुत्र लूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी बेगु रोड़ पटेल बस्ती सिरसा।
16. कौशल्या पुत्री लूनाराम पत्नी दुर्गा प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी थेड मोहल्ला सिरसा।
17. इन्द्रो देवी पुत्री लूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणवासी तहसील नोहर।
18. ग्यासी देवी पत्नी लूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी थेड मोहल्ला सिरसा।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0  
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादीगण  
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 10/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 49 की कुल तादादी 11.1320 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

जमाबंदी में दर्ज काश्तकार लूनाराम पुत्र शेराराम के स्वर्गवास के बाद जायज वारिस वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 13 ता 18 है जिनको पक्षकार कायम किया हुआ है तथा उपरोक्त भूमि वादी संख्या 2 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी संख्या 2 का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 18 जो कि वादी संख्या 2 की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 16 ता 17 जो कि वादी संख्या 2 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक

Page 1 of 5  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादीया संख्या 16 ता 18 का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है इसलिए रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 49 की कुल तादादी 11.1320 है0 भूमि में मृतक लुणाराम पुत्र शेराराम का नाम कलमजन होने के बाद प0 नं0 338/378 (29) के किला नं. 18 के मिन पश्चिम दक्षिण की 0.0091 है0 भूमि व किला नं. 19 के मिन दक्षिण की 0.1265 है0 भूमि किला नं. 21 के मिन उत्तर की की 0.234 है0, किला नं. 22 के मिन उत्तर की 0.234 है0 व किला नं. 23 के मिन उतरी पश्चिम की 0.020 है0 कुल 0.6236 है0 भूमि वादीया संख्या 1 काबिज है व प0 नं0 338/378 (29) के किला नं. 18 के मिन उत्तर पूर्व की 0.2439 व किला नं. 23 के मिन उत्तर पूर्व की 0.2181 है0 व किला नं. 21 के मिन दक्षिण की 0.019 है0, किला नं. 22 के मिन दक्षिण की 0.019 कुल 0.500 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व प0 नं0 338/378 (29) के किला नं. 19 के मिन उत्तर की 0.1265 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज है व शेष 9.8819 है0 भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 प्रत्येक 2534/98819 हिस्सा भूमि पर काबिज है व प्रतिवादी संख्या 2, 4, 8, 10 प्रत्येक 7600/98819 हिस्सा भूमि पर काबिज है व 8445/98819 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व प्रतिवादी संख्या 5 व 9 प्रत्येक 8026/98819 हिस्सा भूमि पर काबिज है व 8445/98819 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 काबिज है व 16890/98819 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 11 काबिज है व 8451/98819 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 12 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 18 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 19 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण लुणाराम दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

*Rahul*  
उपस्थंड अधिकारी  
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि जमाबंदी में दर्ज काश्तकार लूणाराम पुत्र शेराराम के स्वर्गवास के बाद जायज वारिस वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 13 ता 18 है जिनको पक्षकार कायम किया हुआ है तथा उपरोक्त भूमि वादी संख्या 2 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी संख्या 2 का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 18 जो कि वादी संख्या 2 की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 16 ता 17 जो कि वादी संख्या 2 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादीया संख्या 16 ता 18 का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है इसलिए रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 49 की कुल तादादी 11.1320 है० भूमि में मृतक लुणाराम पुत्र शेराराम का नाम कलमजन होने के बाद प० नं० 338/378 (29) के किला नं. 18 के मिन पश्चिम दक्षिण की 0.0091 है० भूमि व किला नं. 19 के मिन दक्षिण की 0.1265 है० भूमि किला नं. 21 के मिन उत्तर की की 0.234 है०, किला नं. 22 के मिन उत्तर की 0.234 है० व किला नं. 23 के मिन उत्तरी पश्चिम की 0.020 है० कुल 0.6236 है० भूमि वादीया संख्या 1 काबिज है व प० नं० 338/378 (29) के किला नं. 18 के मिन उत्तर पूर्व की 0.2439 व किला नं. 23 के मिन उत्तर पूर्व की 0.2181 है० व किला नं. 21 के मिन दक्षिण की 0.019 है०, किला नं. 22 के मिन दक्षिण की 0.019 कुल 0.500 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व प० नं० 338/378 (29) के किला नं. 19 के मिन उत्तर की 0.1265 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज है व शेष 9. 8819 है० भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 प्रत्येक 2534/98819 हिस्सा भूमि पर काबिज है व प्रतिवादी संख्या 2, 4, 8, 10 प्रत्येक 7600/98819 हिस्सा भूमि पर काबिज है व 8445/98819 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व प्रतिवादी संख्या 5 व 9 प्रत्येक 8026/98819 हिस्सा भूमि पर काबिज है व 8445/98819 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 काबिज है व 16890/98819 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 11 काबिज है व 8451/98819 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 12 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

*Rahul*  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी में दर्ज काश्तकार लूणाराम पुत्र शेराराम के स्वर्गवास के बाद जायज वारिस वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 13 ता 18 है जिनको पक्षकार कायम किया हुआ है तथा उपरोक्त भूमि वादी संख्या 2 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी संख्या 2 का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 18 जो कि वादी संख्या 2 की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 16 ता 17 जो कि वादी संख्या 2 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 16 ता 18 का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है इसलिए रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 49 की कुल तादादी 11.1320 है० भूमि में मृतक लूणाराम पुत्र शेराराम का नाम कलमजन होने के बाद प० नं० 338/378 (29) के किला नं. 18 के मिन पश्चिम दक्षिण की 0.0091 है० भूमि व किला नं. 19 के मिन दक्षिण की 0.1265 है० भूमि किला नं. 21 के मिन उत्तर की की 0.234 है०, किला नं. 22 के मिन उत्तर की 0.234 है० व किला नं. 23 के मिन उतरी पश्चिम की 0.020 है० कुल 0.6236 है० भूमि वादी संख्या 1 काबिज है व प० नं० 338/378 (29) के किला नं. 18 के मिन उत्तर पूर्व की 0.2439 व किला नं. 23 के मिन उत्तर पूर्व की 0.2181 है० व किला नं. 21 के मिन दक्षिण की 0.019 है०, किला नं. 22 के मिन दक्षिण की 0.019 कुल 0.500 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व प० नं० 338/378 (29) के किला नं. 19 के मिन उत्तर की 0.1265 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज है व शेष 9.8819 है० भूमि में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 प्रत्येक 2534/98819 हिस्सा भूमि पर काबिज है व प्रतिवादी संख्या 2, 4, 8, 10 प्रत्येक 7600/98819 हिस्सा भूमि पर काबिज है व 8445/98819 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व प्रतिवादी संख्या 5 व 9 प्रत्येक 8026/98819 हिस्सा भूमि पर काबिज है व 8445/98819 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 7 काबिज है व 16890/98819 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 11 काबिज है व 8451/98819 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 12 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान एवं सदस्य प्रमाण पत्र के अलावा लाधुराम के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 36/36

*Lahul*  
उपस्थित अधिकारी  
नोहर

के कुल खसरे 49 की कुल तादादी 11.1320 है0 भूमि में मृतक लुणाराम पुत्र शेराराम का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 338/378 (29) के किला नं. 18 के मिन पश्चिम दक्षिण की 0.091 हैक्ट भूमि व किला नं0 19 के मिन दक्षिण की 0.1265 है0 भूमि किला नं. 21 के मिन उत्तर की 0.234 है0, किला नं. 22 के मिन उत्तर की 0.234 है0 व किला नं. 23 के मिन उत्तरी पश्चिम की 0.020 है0 कुल 0.6236 है0 भूमि का वादीया संख्या 1 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व प0 नं0 338/378 (29) के किला नं. 18 के मिन उत्तर पूर्व की 0.2439 व किला नं. 23 के मिन उत्तर पूर्व की 0.2181 है0 व किला नं. 21 के मिन दक्षिण की 0.019 है0, किला नं. 22 के मिन दक्षिण की 0.019 कुल 0.500 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व प0 नं0 338/378 (29) के किला नं. 19 के मिन उत्तर की 0.1265 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है एवं मुताबिक नजरिया नक्शा तरमीम दर्ज की जाकर उक्त खाता की शेष 9.8819 है0 भूमि में से वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 प्रत्येक को 2534/98819 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 2, 4, 8, 10 प्रत्येक को 7600/98819 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व 8445/98819 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 5 व 9 प्रत्येक को 8026/98819 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व 8445/98819 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व 16890/98819 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 11 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व 8451/98819 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 372/2026  
अनवान : -

1. माया पत्नी विनोद जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मोहन पुत्र लूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।  
- वादीगण

बनाम्

1. कलावती पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. कविता पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. दलवीर सिंह पुत्र जिलेसिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. धनी पत्नी मदन जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. नरेश कुहाड़ पुत्र मुखराम कुहाड़ जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
6. बेगराज पुत्र पतराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. मुकेश कुमार पुत्र जिलेसिंह जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
8. मोनिका पत्नी नवीन दान जाति चारण जाति निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. राकेश कुमार कुहाड़ पुत्र मुखराम कुहाड़ जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
10. विकास खिचड़ पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
11. शंकरलाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
12. सुरेन्द्र सिंह पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
13. किशन लाल शर्मा पुत्र लूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी आर्य बस्ती सैंकडरी स्कूल के पास पटेल बस्ती सिरसा।
14. राजकुमार पुत्र लूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी थेड मोहल्ला सिरसा।
15. मदन शर्मा पुत्र लूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी बेगु रोड़ पटेल बस्ती सिरसा।
16. कौशल्या पुत्री लूनाराम पत्नी दुर्गा प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी थेड मोहल्ला सिरसा।
17. इन्द्रो देवी पुत्री लूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणवासी तहसील नोहर।
18. ग्यासी देवी पत्नी लूनाराम जाति ब्राह्मण निवासी थेड मोहल्ला सिरसा।
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 372 सन 2026 निर्णय दिनांक 10/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 6 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 49 की कुल तादादी 11.1320 है0 भूमि में मृतक लुणाराम पुत्र शेराराम का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 338/378 (29) के किला नं. 18 के मिन पश्चिम दक्षिण की 0.091 हैक्ट भूमि व किला नं0 19 के मिन दक्षिण की 0.1265 है0 भूमि किला नं. 21 के मिन उत्तर की 0.234 है0, किला नं. 22 के मिन उत्तर की 0.234 है0 व किला नं. 23 के मिन उत्तरी पश्चिम की 0.020 है0 कुल 0.6236 है0 भूमि का वादीया संख्या 1 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व प0 नं0 338/378 (29) के किला नं. 18 के मिन उतर पूर्व की 0.2439 व किला नं. 23 के मिन उतर पूर्व की 0.2181 है0 व किला नं. 21 के मिन दक्षिण की 0.019 है0, किला नं. 22 के मिन दक्षिण की 0.019 कुल 0.500 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व प0 नं0 338/378 (29) के किला नं. 19 के मिन उत्तर की 0.1265 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है एवं मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर  
Lahul

नजरिया नक्शा तरमीम दर्ज की जाकर उक्त खाता की शेष 9.8819 है० भूमि में से वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 13 ता 15 प्रत्येक को 2534/98819 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 2, 4, 8, 10 प्रत्येक को 7600/98819 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व 8445/98819 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 5 व 9 प्रत्येक को 8026/98819 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व 8445/98819 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 7 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व 16890/98819 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 11 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है व 8451/98819 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 12 को खातेदार काश्कार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षाकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

*Lahul.*  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर